वाद में आवश्यक एवं उपयुक्त पक्षकार

1—आवश्यक पक्षकार

2—उपयुक्त पक्षकार

आवश्यक पक्षकार—आवश्यक पक्षकार से तात्पर्य ऐसे पक्षकारों से है जिसका वाद के पक्षकार के रूप में रहना नितान्त आवश्यक है तथा जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं कर सकता।

(चन्द्रभाव बनाम मिश्रीराज ए0आई0आर 1995 राजस्थान 1)

1. <u>उदाहरण</u> –

जहाँ सम्पत्ति संयुक्त है और एक सहस्वामी द्वारा अन्तरण किया जाता है और दूसरे सहस्वामी द्वारा घोषणा का वाद लाया जाता है कि विक्रय कुछ सीमा तक ही वैध है वहां अन्य सहस्वामी एक आवश्यक पक्षकार है। (पृथ्वी बनाम महेन्द्र कुमार ए0आई0आर 1985 पी एण्ड एच 238)

2. उदाहरण–

जहां कोई वाद किसी भागीदारी के विखण्डन के लिए संस्थित किया गया हो ऐसे वाद में सभी भागीदार आवश्यक पक्षकार होगे। (माधव जी बनाम भीकमदास ए0आई0आर 1969 गुजरात 205)

उपयुक्त पक्षकार **(Proper Parties)** उपयुक्त पक्षकार वह है जिसकी उपस्थिति विवादित प्रश्न या विवाद में उठाये गये प्रश्न के अधिक प्रभावकारी ढंग और पूर्ण रूप से विनिश्चय में न्यायालय की सहायता करती है। दूसरे शब्दों में उपयुक्त पक्षकार वह पक्षकार है

जिसका वाद में रहना नितान्त आवश्यक नहीं होता पर उसके रहने से विवादग्रस्त प्रश्न का निस्तारण अधिक प्रभावकारी और पूर्ण रूप से किया जा सकता है परन्तु ऐसे पक्षकार के बिना भी प्रभावी डिक्री पारित की जा सकती है। परन्तु उसकी उपस्थिति मामले के विवाद को पूर्ण रूप से निपटाने के लिए आवश्यक है। (उदित नारायण बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ए0आई0आर 1963 एस0सी0 786)

<u>उदाहरण–</u> जहां एक मकान मालिक मकान के कब्जे के लिए किरायेदार के विरूद्ध वाद योजित किया है वहां उपकिरायेदार **(Sub-tenant)** इसी प्रकार जहां पुत्रों ने विभाजन का वाद अपने पिता के विरूद्ध किया हो। वहां पौत्र उपयुक्त पक्षकार है।

धारा 99 कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उलटी जायेगी और न उपान्तरित की जायेगी—पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के या वाद की किसी भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिक्री अपील में न तो उलटी जायेगी और न ही उस पर कोई सारभूत फेरफार किया जायेगा और न ही कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जायेगा।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होती।

इस प्रकार धारा 99 के अन्तर्गत उन आधारों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर किसी डिक्री को उलटा या अपास्त नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त प्रावधान आवश्यक पक्षकार के लिए लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो ऐसी डिक्री को उलट देने का यह समुचित आधार होगा।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद **शशांक शेखर बनाम राजेन्द्र कुमार (2016) (58) (डी0आर0जे0) 459** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि **मात्र सहस्वामी को वाद में पक्षकार न बनाये जाने से यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी का वाद विफल हो जायेगा। प्रस्तुत मामले में अवधारित किया गया है कि जहां तक वाद बेदखली तथा कब्जा प्राप्ति का हो वहां प्रत्येक सहस्वामी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है।**